## 1[Section 101A : Constitution of National Appellate Authority for Advance Ruling

(1) The Government shall, on the recommendations of the Council, by notification, constitute, with effect from such date as may be specified therein, an Authority known as the National Appellate Authority for Advance Ruling for hearing appeals made under section 101B.
(2) The National Appellate Authority shall consist of-
(i) the President, who has been a Judge of the Supreme Court or is or has been the Chief Justice of a High Court, or is or has been a Judge of a High Court for a period not less than five years;
(ii) a Technical Member (Centre) who is or has been a member of Indian Revenue (Customs and Central Excise) Service, Group A, and has completed at least fifteen years of service in Group A;
(iii) a Technical Member (State) who is or has been an officer of the State Government not below the rank of Additional Commissioner of Value Added Tax or the Additional Commissioner of State tax with at least three years of experience in the administration of an existing law or the State Goods and Services Tax Act or in the field of finance and taxation.
(3) The President of the National Appellate Authority shall be appointed by the Government after consultation with the Chief Justice of India or his nominee:

Provided that in the event of the occurrence of any vacancy in the office of the President by reason of his death, resignation or otherwise, the senior most Member of the National Appellate Authority shall act as the President until the date on which a new President, appointed in accordance with the provisions of this Act to fill such vacancy, enters upon his office:

Provided further that where the President is unable to discharge his functions owing to absence, illness or any other cause, the senior most Member of the National Appellate Authority shall discharge the functions of the President until the date on which the President resumes his duties.
(4) The Technical Member (Centre) and Technical Member (State) of the National Appellate Authority shall be appointed by the Government on the recommendations of a Selection Committee consisting of such persons and in such manner as may be prescribed.

[^0](5) No appointment of the Members of the National Appellate Authority shall be invalid merely by the reason of any vacancy or defect in the constitution of the Selection Committee.
(6) Before appointing any person as the President or Members of the National Appellate Authority, the Government shall satisfy itself that such person does not have any financial or other interests which are likely to prejudicially affect his functions as such President or Member.
(7) The salary, allowances and other terms and conditions of service of the President and the Members of the National Appellate Authority shall be such as may be prescribed:

Provided that neither salary and allowances nor other terms and conditions of service of the President or Members of the National Appellate Authority shall be varied to their disadvantage after their appointment.
(8) The President of the National Appellate Authority shall hold office for a term of three years from the date on which he enters upon his office, or until he attains the age of seventy years, whichever is earlier and shall also be eligible for reappointment.
(9) The Technical Member (Centre) or Technical Member (State) of the National Appellate Authority shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office, or until he attains the age of sixty-five years, whichever is earlier and shall also be eligible for reappointment.
(10) The President or any Member may, by notice in writing under his hand addressed to the Government, resign from his office:

Provided that the President or Member shall continue to hold office until the expiry of three months from the date of receipt of such notice by the Government, or until a person duly appointed as his successor enters upon his office or until the expiry of his term of office, whichever is the earliest.
(11) The Government may, after consultation with the Chief Justice of India, remove from the office such President or Member, who-
(a) has been adjudged an insolvent; or
(b) has been convicted of an offence which, in the opinion of such Government involves moral turpitude; or
(c) has become physically or mentally incapable of acting as such President or Member; or
(d) has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as such President or Member; or
(e) has so abused his position as to render his continuance in office prejudicial to the public interest:

Provided that the President or the Member shall not be removed on any of the grounds specified in clauses (d) and (e), unless he has been informed of the charges against him and has been given an opportunity of being heard.
(12) Without prejudice to the provisions of sub-section (11), the President and Technical Members of the National Appellate Authority shall not be removed from their office except by an order made by the Government on the ground of proven misbehaviour or incapacity after an inquiry made by a Judge of the Supreme Court nominated by the Chief Justice of India on a reference made to him by the Government and such President or Member had been given an opportunity of being heard.
(13) The Government, with the concurrence of the Chief Justice of India, may suspend from office, the President or Technical Members of the National Appellate Authority in respect of whom a reference has been made to the Judge of the Supreme Court under sub-section (12).
(14) Subject to the provisions of article 220 of the Constitution, the President or Members of the National Appellate Authority, on ceasing to hold their office, shall not be eligible to appear, act or plead before the National Appellate Authority where he was the President or, as the case may be, a Member.]

## ${ }^{1}$ [धारा 101 क : राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण का गठन

(1) सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा ऐसी तारीख से, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, धारा 101 ख के अधीन अपीलों की सुनवाई के लिए राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण नामक प्राधिकरण का गठन करेगी।
(2) राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण निम्नलिखित से मिलकर बनेगा-
(i) अध्यक्ष, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा है या किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है या रहा है या किसी उच्च न्यायालय का कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिए न्यायाधीश है या रहा है;
(ii) एक तकनीकी सदस्य (केन्द्र), जो भारतीय राजस्व (सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क) सेवा, समूह क का सदस्य है या रहा है और जिसने समूह क में कम से कम पन्द्रह वर्ष की सेवा पूरी कर ली है;
(iii) एक तकनीकी सदस्य (राज्य), जो राज्य सरकार के मूल्यवर्धित कर अपर आयुक्त या राज्य कर अपर आयुक्त की श्रेणी से अनिम्न पंक्ति का कोई अधिकारी है या रहा है और जिसे किसी विद्यमान विधि या राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या वित्त और कराधान के क्षेत्र में प्रशासन का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव है ।
(3) राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण का अध्यक्ष, सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके नामनिर्देशिती के परामर्श से नियुक्त किया जाएगा :

परन्तु अध्यक्ष के पद की, उसकी मृत्यु, त्यागपत्र के कारण या अन्यथा हुई किसी रिक्ति की दशा में, राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण का ज्येष्ठतम सदस्य, उस तारीख तक अध्यक्ष के रुप में कार्य करेगा, जिसको ऐसी रिक्ति भरने के लिए इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नियुक्त नया अध्यक्ष अपना पद ग्रहण करता है :

परन्तु यह और कि जहां अध्यक्ष, अनुपस्थिति, रुग्णता या किसी अन्य कारण से अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हैं, वहां राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण का ज्येष्ठतम सदस्य उस तारीख तक अध्यक्ष के कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा, जिसको अध्यक्ष अपना पदभार ग्रहण करता है।
(4) राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण का तकनीकी सदस्य (केन्द्र) और तकनीकी सदस्य (राज्य) ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनी चयन समिति की सिफारिशों पर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।
(5) राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण के सदस्यों की कोई नियुक्ति केवल चयन समिति में किसी रिक्ति या उसके गठन में त्रुटि के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।
(6) राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण के अध्यक्ष या सदस्यों के रुप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति से पहले सरकार अपना यह समाधान करेगी कि ऐसे व्यक्ति का ऐसा कोई वित्तीय या अन्य हित नहीं है, जिससे ऐसे अध्यक्ष या सदस्य के रुप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभाव्य है।
(7) राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते और उनकी सेवा के अन्य

[^1]निबंधन और शर्तें वें होगी, जो विहित की जाएं :

परन्तु राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण के अध्यक्ष या सदस्यों के वेतन और भत्तों में या उनकी सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों में उनकी नियुक्ति के पश्चात् कोई अलाभकारी फेरफार नहीं किया जाएगा।
(8) राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण का अध्यक्ष, उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, तीन वर्ष की अवधि के लिए या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा और पुनः नियुक्ति का पात्र होगा।
(9) राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण का तकनीकी सदस्य (केन्द्र) या तकनीकी सदस्य (राज्य) उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, पांच वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हों, पद धारण करेगा और पुनःनियुक्ति का पात्र भी होगा।
(10) अध्यक्ष या कोई सदस्य, सरकार को संबोधित लिखित नोटिस द्वारा अपना पद त्याग सकेगा :
परन्तु अध्यक्ष या सदस्य, सरकार द्वारा ऐसे नोटिस की प्राप्ति की तारीख से तीन मास के अवसान तक या उसके उत्तरवर्ती के रुप में सम्यक् रुप से नियुक्त व्यक्ति द्वारा पद ग्रहण किए जाने तक या उसकी पदावधि के अवसान तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हों, पद पर बना रहेगा।
(11) सरकार, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श के पश्चात् ऐसे अध्यक्ष या सदस्य को पद से हटा सकेगी -
(क) जिसे दिवालिया न्यायनिर्णीत कर दिया गया है; या
(ख) जिसे किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है, जिसमें ऐसी सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है; या
(ग) जो ऐसे अध्यक्ष या सदस्य के रुप में कार्य करने के लिए शारीरिक या मानसिक रुप से असमर्थ हो गया हैं; या
(घ) जिसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया है, जिससे ऐसे अध्यक्ष या सदस्य के रुप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभाव्य है; या
(ड.) उसने अपने पद का ऐसे दुरुपयोग किया है, जिससे उसका पद पर बने रहना लोक हित के प्रतिकूल है :
परन्तु अध्यक्ष या सदस्य को खंड (घ) और खंड (ड़) में विनिर्दिष्ट किसी आधार पर तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक उसे उसके विरुद्ध आरोपों की सूचना न दे दी गई हो और उसे सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हों।
(12) उपधारा (11) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण के अध्यक्ष और तकनीकी सदस्यों को, सरकार द्वारा किए गए निर्देश पर भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नामनिर्देशित उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा की गई जांच के पश्चात्, सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर तथा अध्यक्ष या उक्त सदस्य को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् सरकार द्वारा किए गए किसी आदेश के सिवाय, पद से नहीं हटाया जाएगा।
(13) सरकार, राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण के ऐसे अध्यक्ष या तकनीकी सदस्यों को, जिसकी बाबत् उपधारा (12) के अधीन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को निर्देश किया गया है, भारत

के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से पद से निलंबित किया जा सकेगा।
(14) संविधान के अनुच्छेद 220 के उपबंधों के अधीन रहते हुए राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण का अध्यक्ष, या सदसय, पद पर न रहने पर, उस राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण के समक्ष, जहां वह यथारिथति, अध्यक्ष या कोई सदस्य था, उपर्थिति होने, कार्य करने या अभिवाक् करने के लिए पात्र नहीं होगा।]


[^0]:    1 Section 101A inserted by finance (No. 2) Act, 2019 (No. 23 of 2019). Effective date of amendment not yet notified.

[^1]:    1 वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 (2019 का क्रमांक 23) द्वारा धारा 101क अंतःस्थापित। यह संशोधन अभी प्रभावशील नहीं किया गया है।

